

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली

क्रमांक:-अ.अ./नि.ख.३३/लेखा/2020-21/1313

दिनांक:- 15.7.2020

श्रीमान् निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान जयपुर

विषय:- बीसलपुर बाँध के आर एल 315.50 मी० की डूब में आये मकान नं. 22 (आवादी) के डूब क्षेत्र ग्राम बनेडियाखुर्द बासधाकडान के छूटे हुए मकान की धारा-19 की विज्ञप्ति प्रकलन करने बाबत।


प्रसंग:- श्रीमान् उपसचिव एवं प्रा.स. वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राज० जयपुर के विज्ञप्ति घोषणा क्रमांक 162/भू.अ./जसं/2015/720-728 दिनांक 08.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन हैं कि श्रीमान् उपसचिव एवं प्रा. स. वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग राज० जयपुर के विज्ञप्ति घोषणा क्रमांक 162/भू.अ./जसं/2015/720-728 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा बीसलपुर बाँध के आर एल 315.50 मी० की डूब में आये मकान नं. 22 (आवादी) के डूब क्षेत्र ग्राम बनेडियाखुर्द बासधाकडान के छूटे हुए मकान की धारा-19 की विज्ञप्ति (घोषणा) जारी हो चुकी है।

अतः टोंक जिल के दो स्थानीय समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में प्रकलन कराने का श्रम करें।

संलग्न:-जारी विज्ञप्ति (घोषणा) की प्रति।


अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-तृतीय,
बीसलपुर परि० देवली

क्रमांक:-अ.अ./नि.ख.३३/लेखा/2020-21/

दिनांक:-

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. श्रीमान् निदेशक, बाँध सुरक्षा एवं संरक्षण, आई टी सेल, आई डी एण्ड आर, जयपुर राज० को भेजकर निवेदन हैं कि उक्त धारा-19 की घोषणा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, बाँध वृत्त, बीसलपुर परियोजना, देवली।
3. श्रीमान् अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली।
4. सहायक अभियन्ता, पुनर्वास उपखण्ड-प्रथम, (खण्ड-तृतीय) बीसलपुर परियोजना, देवली।

संलग्न:-जारी विज्ञप्ति (घोषणा) की प्रति।

अधिशाषी अभियन्ता

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक 162/भू0अ0/ज0स0/2015/

दिनांक

घोषणा

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बीसलपुर परियोजना के डूब में आये ग्राम बनेड़िया खुर्द (बासधाकड़ान) के मकान न0 22 को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली, टोंक को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली, टोंक तथा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली के कार्यालय में किया जा सकता है। विवरण सलग्न सूची के अनुसार।
सलग्न:-सूची।

आज्ञा से,

६०

जितेन्द्र दीक्षित

उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक 162/भू0अ0/ज0स0/2015/ 720-723

दिनांक = 08-07-20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग, जयपुर।
- 2-निर्देशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त घोषणा को असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ ई-गजट पद्धति (राज-ई गजट माड्यूल) के अनुसार अपलोड कर दिया गया है। सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3-अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय बीसलपुर परियोजना देवली को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है:-
(क) इस विज्ञापन को जन सम्पर्क निदेशालय के माध्यम से कम से कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
(ख) इस विज्ञापन को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 4-अतिरिक्त कलेक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि घोषणा का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चरपा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (जल संसाधन)
निर्माण खण्ड III बीसलपुर परियोजना, देवली
प्राप्ति

क्रमांक.....दिनांक.....

शाखा का नाम मुद्रण विभाग

O.A. T.A. E.E.

जितेन्द्र दीक्षित


उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान जयपुर।




बीसलपुर परियोजना के आर.एल. 315.50 मीटर की डूब में आये मकान नं. 22 (आबादी) ग्राम बनेडिया खुर्द, बासघाकडान तहसील देवली जिला-टोंक की धारा-19 की सूची।


क्र.सं.	खातेदार का नाम	मकान नं.	रिमार्क
1	टीकमचन्द, गोरधन, चन्द्रप्रकाश पुत्र माणक चन्द जाति महाजन लीला देवी पत्नी त्रिलोक चन्द जाति महाजन कु0 प्रियका जैन, श्वेता, अन्तिमा, अनामिका, रानू पुत्रिया त्रिलोक चन्द जाति महाजन शिखर चन्द पुत्र त्रिलोक चन्द जाति महाजन जरिये सरपरस्ती माता लीलादेवी पत्नि त्रिलोक चन्द जाति महाजन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला -टोंक	22 (आबादी)	मुआवजा भुगतान हेतु धारा-11-12 का गजट प्रकाशन दिनांक 02.02.16 तथा धारा-19 का गजट प्रकाशन दिनांक 08.12.16 को हुआ था, परन्तु अतिरिक्त कलक्टर (पुनर्वास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, बीसलपुर परियोजना, देवली के पत्राक 185 दिनांक 01.06.2018 (सलंगन) में दर्शित कारणों से उनके द्वारा समय सीमा में अवाई जारी नहीं किया गया। इससे धारा-19 का गजट लेप्स हो गया। पुनः धारा-11-12 का गजट हो चुका है, अब धारा-19 की कार्यवाही प्रस्तावित है।


(धनकर मनीषा)
कनिष्ठ अभियन्ता


(अजय शर्मा)
सहायक अभियन्ता
पुनर्वास उपखण्ड-प्रथम/तृतीय,
बीसलपुर परियोजना, देवली।


(रविन्द्र कटारा)
अधिशाषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-तृतीय,
बीसलपुर परियोजना, देवली

शक्ति हस्ताक्षरित


उप शासन सचिव अधीक्षण अभियन्ता
न.स.वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
परियोजना, जयपुर



(अ.एम.नागर)

अभिज्ञ
जल संसाधन
परियोजना, जयपुर